न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी–श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 85 / 2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024 / 168

प्रार्थी

हरिराम पुत्र भागीरथराम जाति जाट निवासी परेवड़ी तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री राकेश गुप्ता, अतिरिक्त जिला कलेक्टर कुचामन सिटी।
2. सरपंच ग्राम पंचायत परवेड़ी, पंचायत समिति कुचामन सिटी।
3. ग्राम विकाय अधिकारी, ग्राम पंचायत परवेड़ी, पंचायत समिति कुचामन सिटी, तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन।
4. जवानाराम पुत्र पीथाराम
5. भंवरलाल पुत्र रतनाराम
6. संदीप पुत्र गोरधनराम
7. मोहनराम पुत्र किशनाराम
8. गणपातराम पुत्र किशनाराम
9. ओमप्रकाश पुत्र पेफाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण परेवड़ी तहसील कुचामन सिटी

<u>मुन्तकिली आवेदन पत्र अधीन धारा 235 आर.टी.एक्ट</u>
<u>विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कुचामन सिटी बाबत्</u>
<u>निगरानी संख्या 03 / 2024</u>

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी वकील प्रार्थी की ओर से
2. श्री रामेश्वर लाल भाकर वकील अप्रार्थी

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 25.11.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है किः–

1. प्रार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर कुचामन के यहां एक निगरानी संख्या 03 / 2024 बअनुवान हरिराम बनाम ग्राम पंचायत परेवड़ी व अन्य के नाम तथा इसी के साथ इसी अनुवान प्रकरण का एक स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ हैं जिसकी तारीख [illegible] तथा उक्त पत्रावली आज की पेशी में नियत की हैं।
2. उक्त निगरानी ठोस आधारों पर पेश की गई है परन्तु [illegible] पंचायत परेवड़ी के सरपंच द्वारा जो कि राजनैतिक [illegible] विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थी को नोटिस दिया गया हैं व प्रार्थी उक्त नोटिस के विरूद्ध न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:11:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

अतिरिक्त जिला कलेक्टर कुचामन के यहां निगरानी प्रस्तुत की, जहां से दिनांक 04.10.2024 को प्रार्थी को स्थगन आदेश प्राप्त हुआ है।

3. उक्त स्थगन आदेश मिलन के बाद सरपंच ग्राम पंचायत परेवड़ी ने अपने राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर उक्त स्थगन अदेश राजनैतिक दबाव से निरस्त कराने में लगा हुआ है तथा कल दिनांक 04.11.2024 को स्पष्ट रूप से धमकी दी और कहा कि उक्त स्थगन आदेश 24 घंटे के भीतर भीतर तुड़वा दुंगा और यह भी धमकी दी हैं कि तुम्हारे खरीद सुदा भूखण्ड के बीच में से रास्ता कायम करूंगा, तुमसे जो होता हैं वो कर लो तथा नोटिस में भी एक दिवस का ही समय दिया। जिससे स्पष्ट हैं कि सरपंच ग्राम पंचायत परेवड़ी प्रार्थी से व्यक्तिगत रंजिश रखता हैं तथा दोनों ने आमने सामने चुनाव भी लड़े हैं।

4. उक्त जमीन प्रार्थी की खरीद सुदा जमीन हैं जो वर्ष 2014 में ही खरीद की थी। वर्तमान में सरपंच राजनैतिक प्रभाप का इस्तेमाल कर उक्त आदेश अपास्त करवाना चाहता हैं एवं प्रार्थी को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर कुचामन से न्याय की कतई उम्मीद नहीं है।

5. अतिरिक्त जिला कलेक्टर कुचामन के पद पर वर्तमान में श्री राकेश गुप्ता आसीन है जो राजनैतिक एवं अन्य दबाव में है एवं उनके द्वारा मनमर्जी से विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर उक्त निगरानी में कार्यवाही की जा रही हैं।

6. उक्त पत्रावली की तारीख पेशी दिनांक 04.11.2024 नियत थी तथा प्रार्थी को अंदेशा हैं कि उसका स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज करने की नियत से उक्त पत्रावली आज की पेशी में रखी गई है। सरपंच ग्राम पंचायत परेवड़ी ने उक्त स्थगन खारिज करने सम्बंधी धमकी भी दी हैं। इस कारण प्रार्थी को उक्त प्रकरण में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कुचामन से निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इसलिए भी उक्त निगरानी को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में अन्तरित किया जाना उचित एवं न्ययसंगत है।

अतः उक्त आवेदन पेश कर निवेदन है कि निगरानी संख्या 03/2024 (23/2024) बअनुवान हरिराम बनाम ग्राम पंचायत परवेड़ी को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर कुचामन सिटी के यहां से किसी अन्य न्यायालय में अन्तरित किये जाने का सादर आदेश फरमावें।

अप्रार्थी वकील रामेश्वर लाल भाकर ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत परेवड़ी द्वारा प्रस्ताव लेकर ग्राम परेवड़ी में भवानीपुरा रोड़ जवाना राम, गोवरधन राम के बाड़े में आबादी के आम रास्ते में सीसी ब्लॉक लगाने का कार्य किया जा रहा हैं। इस कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम पंचायत में आ चुकी हैं [illegible] ब्लॉक लगाने हेतु कार्य शुरू किया जा चुका हैं तथा सामग्री [illegible]क, बजरी, सीमेन्ट ईत्यादि निर्माण स्थल पर डाली [illegible] बाबत् 15 दिन का मास्टररोल जारी किया जा चुका है यदि [illegible] आवेदन की सुनवाई में देरी होगी तो ग्राम पंचायत व ग्राम वासियों को [illegible]नी का सामना करना पड़ेगा तथा सामग्री के खुर्द बूर्द होने की संभावना हो चुकी है क्योंकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:11:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

यह कार्य आबादी भूमि में आम रास्ते पर किया जा रहा है। प्रार्थी हरिराम के पास आबादी भूमि में आम रास्ते का किसी प्रकार का कोई टाईटल हक अधिकार इत्यादि नहीं है। प्रार्थी हरिराम ने कतई गलत तथ्यों के आधार पर निगरानी प्रस्तुत कर प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य से श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया है। अतः उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जिसे खारिज फरमाया जावें।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अधीन धारा 235 आर0टी0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। जबकि प्रार्थीगण अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी के न्यायालय में विचाराधीन निगरानी को स्थानान्तरण करवाना चाहते है। जो निगरानी राज0 पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई है। अतः प्रार्थना पत्र संबंधित विधिक प्रावधानों के तहत प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **25.11.2024** को सरे इजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन
सत्यमेव जयते

(पुखराज सेन, IAS)
जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:11:21 IST
Reason: SelfAttested